न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 63/2015

श्री समन्दरसिंह वल्द स्व. श्री अमरसिंह जाति मेहरात निवासी जसवन्तपुरा तहसील मसूदा जिला अजमेर। ————वादी

ब ना म

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय मसूदा जिला–अजमेर

———प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 09.03.2018

वादी ने अपने वाद पत्र में सारांशतः निवेदन किया है, कि ग्राम भवानीपुरा पटवार निरीक्षक क्षेत्र खरावा तहसील मसूदा जिला अजमेर में वादी के कब्जे काश्त की आराजियत खसा संख्या 822 रकबा 07–19–10 किस्म बारानी 3 जिस पर वादी का विगत 30 वर्षो से अधिक समय से मुखालफाना चला आ रहा है। वादी द्वारा रबी व खरीफ की फसलों की बुआई भी की जाती है तथा नियमित रूप से काश्त की जा रही है जो कि गिरदावरियों से सिद्ध होता है। वादग्रस्त आराजी पर वादी के पिता स्व. अमरसिंह के जीवनकाल से ही काबिज काश्त चला आ रहा है परन्तु वादी के नाम वादग्रस्त आराजी का अभिलेख में इन्द्राज नहीं होने से वादग्रस्त आराजी आज दिवस तक भी सिवायचक अधिकार–अभिलेख में दर्ज है। वादी को उपरोक्त आराजियात से आज दिवस तक बेदखल नहीं किया गया है जिससे राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों केक अनुसार राजकीय सिवायचक आराजियात पर किसी व्यक्ति का यदि 30 वर्षो से अधिक समय तक कोई मुखालफाना कब्जा होता है या रहता है तो उसे खातेदारी अधिकार प्रोतभूत हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में वादी वादग्रस्त आराजियात की खातेदारी प्राप्त करने का मुश्तहक है। वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादी द्वारा वादी को बेदखल करने बाबत् कथन कहे गये और उपरोक्त आराजियात पर खातेदारी प्राप्त करने के लिये दावा करने बाबतज् तथ्य बताये गये जिससे वाद कारण दिनांक 04.02.2015 से उत्पन्न होकर आज दिवस तक जारी है। अतः वादपत्र में वर्णित आराजियात खसरा संख्या 822 रकबा 07–19–10 पर वादी का नाम बहैसियत रिकार्डेड खतेदार काश्तकार दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे अथवा उपरोक्त आराजियात को वादी के पक्ष में नियमन/आवंटन किये जाने की सिफारिश आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष की जावे। इस अमर की अज्ञाप्ति बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी जारी की जावे। वादग्रस्त आराजी पर वादी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने से व कृषि कार्य में मदाखलत करने से प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे। इस अमर की अज्ञाप्ति बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी की जावे। अन्य दादरसी जो उचित समझें, धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादी को प्रदान कराने के कथन किए।

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
मसूदा (अजमेर) राज.

वादपत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया।

प्रतिवादी तहसीलदार मसूदा ने अपने जवाब दावे में सारांशतः कथन किए कि हैं कि राजस्व ग्राम भवानीपुरा (पुराना ग्राम खरवा) पटवार मण्डल खरवा तहसील मसूदा के खसरा नम्बर 822 रकबा 07–19–10 किस्म बारानी 3 जमाबन्दी संवत् 2069–72 के खाता नम्बर 1 सिवायचक जिम्मन निवास एवं बस्तियां में दर्ज होकर सरकारी मिल्कियत है। धारा 88 में गिरदावरी के आधार पर किसी प्रकार का अधिकार उत्पन्न नहीं होने से दावा चलने योग्य नहीं है तथा वर्णित भूमि शुरू से ही सिवायचक चली आ रही हैं। जिस पर कब्जा होना केवल मात्र अतिचार को दर्शित करेगा जो नियमों में बेदखली योग्य होगा इसलिये वादी वर्णित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। दावा चलने योग्य नहीं है। सिवायचक भूमि को आवंटन/नियमन करने का प्रावधान राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 वर्णित है। कब्जे की स्थिति वादी स्वयं सिद्ध करें। वर्णित भूमि निर्विवाद रूप से सिवायचक है । सिवायचक भूमि पर विधि विरूद्ध कब्जा करने

.....लगातार

तथ कब्जा बनाये रखने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना करनाा वादी की कुचेष्टा को दर्शाता है। कुचेष्टा व बदनियति पूर्वक प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं है। अतः दावा सव्यय निरस्त फरमावें।

प्रतिवाद पत्र प्राप्त होने पर अनुतोष सहित पॉच तनकियात निम्न प्रकार कायम की गई।

1. आया वादी विवादित आराजी में अपना नाम बहैसियत खातेदार काश्तकार से लगवाने का अधिकारी है? विकल्प में प्रकरण आवंटन सलाहकार समिति के समक्ष नियमन/आवंटन की अनुशंषा से प्रस्तुत कराने का अधिकारी है?
2. आया वादी प्रतिवाद के विरूद्ध विवादित आराजी बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा पाप्ति का अधिकारी है?
3. आया विवादित भूमि प्रारंभ से ही सरकारी सिवायचक भूमि चली आ रही है जो जिम्मन निवास बस्तियों में दर्ज है, अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य नहीं सव्यय निरस्त किया जावे?
4. आया विवादित भूमि जो सरकारी सिवायचक भूमि है उस पर विधि विरूद्ध कब्जा बनाए रखने के लिए स्थाई निषेधाज्ञा चाही जाना वादी की कुचेष्टा है?
5. अनुतोष ?

तनकी संख्या 1 व 2 एक दूसरे की पूरक होने से इनको एक साथ तय किया जाता है जिसको सिद्ध करने का भार वादी पर रहा है। वादी ने दस्तावेज स्वरूप ग्राम भवानीपुरा पटवार हल्का खरवा द्वितीय की जमाबन्दी की प्रति प्रस्तुत की है जिसके खाता संख्या 1 में अंकित अन्य खसरान के साथ खसरा संख्या 822 रकबा 07–19–10 राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है। वादी ने अपने वाद पत्र एवं बहस में वादग्रस्त खसरा संख्या 822 पर कब्जा होने के कथन किए हैं जिसके फलस्वरूप दस्तावेजी साक्ष्य में भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अधीन तहसीलदार मसूदा द्वारा जारी नोटिस की प्रति प्रस्तुत की है जिसमें खसरा नम्बर 822 रकबा 07–19–10 श्रीमती सुरमा पत्नी समन्दरसिंह जाति मेरात निवासी जसवन्तपुरा लहरी का अतिक्रमण/कब्जा होना अंकित है। यहां वादी का कब्जा होने संबंधी कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं जो दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है वह वादी की पत्नि के नाम का प्रस्तुत किया गया है। दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में वादी का वाद कारण ही उत्पन्न होना नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में उक्त दोनों तनकिया वादी अपने पक्ष में साबित करने से कासिर रहे हैं। अतः यह दोनों तनकिया विरूद्ध वादी तय पाई जाती है।

तनकी संख्या 3 व 4 एक दूसरे की पूरक होने से इन्हें एक साथ तय किया जाता है। उक्त तनकियों को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर रहा है। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में कथन किए हैं कि वर्णित भूमि निर्विवाद रूप से सिवायचक है। सिवायचक भूमि पर विधि विरूद्ध कब्जा करने तथा कब्जा बनाये रखने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना करनाा वादी की कुचेष्टा को दर्शाता है। कुचेष्टा व बदनियति पूर्वक प्रस्तुत वाद चलने योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त भी वादी ने वादग्रस्त भूमियों पर स्वयं का कब्जा होने संबंधी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। ग्राम भवानीपुरा (पुराना ग्राम खरवा) पटवार मण्डल खरवा तहसील मसूदा के खसरा नम्बर 822 रकबा 07–19–10 किस्म बारानी 3 जमाबन्दी संवत् 2069–72 के खाता नम्बर 1 सिवायचक जिम्मन निवास एवं बस्तियां में दर्ज होकर सरकारी मिल्कियत है। ऐसी स्थिति में उक्त दोनों तनकियात बहक प्रतिवादी विरूद्ध वादी तय की जाती है।

अनुतोष – चूंकि उपरोक्त सभी तनकियात वादी के विरूद्ध तय पाई जाने से एवं दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में वादी का वादकारण ही उत्पन्न होना नहीं पाया जाता है एवं वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादी खारिज़ किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 9/3/18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.03.12 17:03:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: